Seventeenth Loksabha

>

Title: Introduction of Essential Commodities (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of sections 3 and 7)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955."

The Motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

-

15.38 ½ hrs